न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अनंत भण्डारी

दाण्डिक निगरानी संख्या - 08/2026

1. नवल पुत्र गिर्राज, उदम्र करीबन 30 साल,
2. कमल पुत्र गिर्राज, उम्र करीबन 35 साल,
3. रमेश पुत्र श्योदान, उम्र करीबन 50 साल,
4. भजनलाल पुत्र रामावतार, उम्र करीबन 32 साल,

निवासियान बुर्जा, पुलिस थाना सदर, जिला अलवर (राज.)

-----निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. राज. सरकार जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)
2. रोहिताश पुत्र हरिसिंह, उम्र करीबन 40 साल, निवासी ग्राम बुर्जा, पुलिस थाना सदर, जिला अलवर (राज.)

----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय उप–जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 से व्यथित होकर

उपस्थितः-

1- श्री गणपत सिंह नरूका, विद्वान अधिवक्ता - निगरानीकर्तागण की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।
3- श्री पुष्कर राज मुखीजा, विद्वान अधिवक्ता - गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 09.06.2026

1- निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय उप-जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राज.) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने, निगरानीकर्तागण के विरूद्ध धारा 111 जाब्ता फौजदारी के तहत नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये।

2- विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण का तर्क है कि आलोच्य आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। आलोच्य आदेश के जरिये जो नोटिस निगरानीकर्तगण को जारी किया गया है, वह धारा 111 जाब्ता फौजदारी के तहत जारी किया गया है, जबकि वर्तमान प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अपितु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। अतः आलोच्य

आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह हवाला नहीं दिया है कि निगरानीकर्तागण द्वारा किस प्रकार से शांति भंग करने का अंदेशा होना प्रतीत होता है, जिससे भी यह प्रकट होता है कि मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 30.12.2025 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

3- परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 रोहिताश के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र में स्पष्ट रूप से यह विवरण दिया गया है कि गैर सायलान/निगरानीकर्तागण, हाथों में लाठी व खतरनाक हथियार लेकर आये और परिवादी के परिवार के सदस्यों को गालियां दीं और उनको रास्ते में घेर लिया और धमकी देकर गये हैं। वे जबरन परिवादी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, इस कारण से शांति भंग होने की पूर्ण आशंका प्रकट होने से, उपखंड मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो विधि विरूद्ध आदेश होना नहीं माना जा सकता है। अतः निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान लोक अभियोजक का यह कथन रहा है कि आलोच्य आदेश विधि के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है, केवल मात्र धारा 111 जाब्ता फौजदारी लिख देने से आदेश अवैध नहीं होता है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भी समकक्ष प्रावधान, धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधानित किये गये हैं, जिसके तहत नोटिस जारी किया जाना माना जा सकता है।

5- बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6- पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.12.2025 के जरिये गैर सायलान/निगरानीकर्तागण को नोटिस अंतर्गत धारा 111 जाब्ता फौजदारी, जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जबकि वर्तमान प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही की जानी थी। अतः प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि नोटिस जारी किये जाने में सही विधिक प्रावधानों का उल्लेख, आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 में नहीं किया गया है। धारा 111 जाब्ता फौजदारी का समकक्ष प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 में दिया गया है, जिसमें आवश्यक है कि धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस जारी करने के समय मजिस्ट्रेट इत्तिला का सार अंकित करेगा। आलोच्य आदेश में कहीं भी इत्तिला का सार प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में हम यह पाते हैं कि आलोच्य आदेश मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित किया गया है। धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह आज्ञापक प्रावधान है कि सूचना का सार अंकित किया जावेगा, ऐसे में आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना जारी किया जाना एवं पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 का विधिसम्मत नहीं होना प्रकट होता है। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने

योग्य है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

- आदेश -

7- लिहाजा, निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट, अलवर (राज.) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.12.2025 अपास्त किया जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नये सिरे से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

8– आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब भिजवाई जाए।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर